प्रेस विज्ञप्ति
15.06.2026

ईडी ने रहेजा डेवलपर्स मामले में बड़े पैमाने पर हुए धन विपथन का किया खुलासा; 503.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है जिसके तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, साथ ही, नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 503.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी, मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशक नवीन एम. रहेजा व अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच कर रही है। उक्त कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में घर-खरीदारों की बड़ी संख्या द्वारा दायर शिकायतों के आधार आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा पंजीकृत अनेक प्राथमीकियों (एफआईआर) के आधार पर यह जांच शुरू की गई।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने कंपनी की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए करीब 4,600 घर खरीदने वालों से लगभग 2,425.99 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की। हालांकि, जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि घर खरीदने वालों से एकत्रित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा वादा की गई परियोजनाओं के विकास और निर्माण के बजाय अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया गया।

इसके पूर्व, ईडी ने दिनांक 28.04.2026 के पीएओ के माध्यम से मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (आरडीएल), उसकी संबंधित कंपनियों, निदेशक/प्रमोटर नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 1,113.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। लगभग Rs. 503.48 करोड़ मूल्य की संपत्ति की वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (आरडीएल), उसकी संबंधित कंपनियों, निदेशक/प्रमोटर नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों की कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1,617.29 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।